संख्या-32/2023/1125/006-23-14-2023-48जनरल/2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ : दिनांक- 04 अगस्त, 2023**

**विषय:-**अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण/पुनर्निर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 05 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-5245/CE-HQ1/JYNN/PRJ/2023-24, दिनांक 21.07.2023, 5314/CE-HQ1/JYNN/VNS/2023-24, दिनांक 26.07.2023, 5313/CE-HQ1/JYNN/MBD/2023-24, दिनांक 26.07.2023, 5333/CE-HQ1/JYNN/VNS/2023-24, दिनांक 26.07.2023 एवं 5212/CE-HQ1/JYRE/MBD/2023-24, दिनांक 18.07.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण/पुनर्निर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 05 चालू परियोजनाओं में जिला योजना (नवनिर्माण) की कुल 04 चालू परियोजना हेतु सूची (1) की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 174.57 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 39.73 लाख ( रुपये उन्तालिस लाख तिहत्तर हजार मात्र ) एवं जिला योजना (पुनर्निर्माण) की कुल 01 चालू परियोजना हेतु सूची (2) की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 55.18 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 26.84 लाख (रूपये छब्बीस लाख चौरासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

## (1) जिला योजना (नवनिर्माण)

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्रम सं0 | खण्ड/ जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृत/ मूल लागत | दि . 31.3.2022 तक आवंटन | दि . 01.04.2022 को अवशेष | बचत | वर्ष 2023-24 में आवंटन | क्षेत्र से प्राप्त मांग/ अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | प्रा.ख. प्रतापगढ़ | रामनगर से पक्की सड़क से विनय तिवारी के घर तक सम्पर्क मार्ग। | 65.33 | 52.26 | 13.07 | 2.35 | 0.00 | 10.71 | **10.71** |
| 2 | प्रा.ख. चंदौली | ग्राम सभा बहेरी में काली मंदिर से हनुमान जी मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 32.77 | 30.64 | 2.13 | 0.51 | 0.00 | 1.62 | **1.62** |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | नि.ख. रामपुर | ग्राम खेमपुर से रहसेना मार्ग का नव निर्माण कार्य। | 41.01 | 16.99 | 24.02 | 0.9 | 0.00 | 23.12 | **23.12** |
| 4 | नि-.ख.3 गाजीपुर | कोटवां नारायणपुर लट्ठूडीह मुख्य मार्ग से कनुआन प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण। | 35.46 | 31.14 | 4.32 | 0.04 | 0.00 | 4.28 | **4.28** |
| | | **योग** | **174.57** | **131.03** | **43.54** | **3.80** | **0.00** | **39.73** | **39.73** |

## (2) जिला योजना (पुनर्निर्माण)

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्रम सं0 | खण्ड जनपद / का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृत मूल / लागत | दि . 31.3.2022 तक आवंटन | दि . 01.04.2022 को अवशेष | बचत | वर्ष 2022-23 में आवंटन | क्षेत्र से प्राप्त मांग/ अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | नि.ख. रामपुर | रामपुर शाहाबाद मार्ग पुलिस चैकी से डी-7 अजीतपुर औद्योगिक आस्थान तक सी0सी0 रोड का पुनः निर्माण का कार्य। | 55.18 | 27.25 | 27.93 | 1.09 | 0.00 | 26.84 | **26.84** |
| | | **योग** | **55.18** | **27.25** | **27.93** | **1.09** | **0.00** | **26.84** | **26.84** |

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

4- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आबंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध् करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त सूची में जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उल्लिखित 04 कार्य एवं जिला योजना (पुनर्निर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उल्लिखित 01 कार्य हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्णकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय ( *1* ) रुपये 39,73,000 ( रुपये उनतालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371318 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य ( *2* ) रुपये 26,84,000 ( रुपये छब्बीस लाख चौरासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371338 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों/लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण/जीर्णोद्धार/उच्चीकरण के चालू कार्यों हेतु **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023- 231/2023, दिनांक- 17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-32/2023/1125(1)/006-23-14-2023-48जनरल/2017 तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज ।

3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल ।

4- उप सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार ।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

7- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।

8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in